रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 08 नवम्बर 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक संवत्) [संख्या 45

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	561–574	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1231–1244	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	89–90	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	479–480	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1715-1742	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–2

औपबन्धिक/कार्यालय ज्ञाप

14 मई, 2025 ई0

सं0 1071/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में डा0 अनुपम चौधरी का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
श्री अनुपम चौधरी	श्री राजकुमार चौधरी	8	6/0102348/0091995 48000107	मिर्जापुर	अंजनी कुमार सिंघविल नियामतपुर कलां पोस्ट पुरूष, एनए, एनए, मिर्ज़ापुर, उ0प्र0-231305	लखनऊ कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्य-भार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या स्वःघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1543/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में डा0 दिव्या यादव का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
दिव्या यादव	श्री अजय कुमार	7	7/0103500/009150548000257	बरेली	148, ग्राम प्रहलादपुर पी0ओ0 भोजीपुरा, 148 प्रहलादपुर, पोस्ट आफिस भोजीपुरा बरेली, उ0प्र0-243202	अलीगढ़ कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या स्वःघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1544/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)—उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में डा0 प्रियंका शर्मा का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
प्रियंका शर्मा	श्री मनोज कुमार	6	19/0101952/0091795480 00092	सुल्तानपुर	ग्राम शाहपुर नानेमऊ पोस्ट नानेमऊ जिला सुल, बेल्हारी, सुल्तानपुर, उ0प्र0-228133	आजमगढ़ कालेज

2— उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए

कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्य-भार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः-सत्यापन या स्वः-घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1545/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में डा0 अभिषेक चौधरी का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
अभिषेक चौधरी	श्री रूपक चौधरी	5	1/0102945/009140548000478	गाजियाबाद	आई-8, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नं0-25, आई0जी0 अपार्टमेन्ट, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, उ0प्र0-201019	अलीगढ़ कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के

कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या स्वःघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1546/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-102/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 19 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 शिवम वर्मा का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
शिवम वर्मा	श्री अरविन्द कुमार वर्मा	2	23/0102499/00916654 8000017	झांसी	396/1, प्रेमगंज, सीपरी बाजार, जिला-झांसी, उ0प्र0-284003	गाजीपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्य-भार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः-सत्यापन या स्वः-घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1547/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 प्रतिभा यादव का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
प्रतिभा यादव	श्री योगेन्द्र कुमार यादव	3	16/0100501/0091755 48000181	प्रयागराज	ग्राम जीरतमातन उर्फ नारायण दास का पुरा, झूंसी, प्रयागराज, उ0प्र0-211019	आजमगढ़ कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्य-भार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-

पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः-सत्यापन या स्वः-घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1548/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में डा0 खुशबू गुप्ता का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती खुशबू गुप्ता	श्री कैलाश नाथ	1	11/0100814/009194548000304	गाजियाबाद	बी-19ए बैंक एनक्लेवशास्त्री नगर, बी 19ए, कवि नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0 201002	मुरादाबाद कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्य-भार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः-सत्यापन या स्वः-घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1549/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1919861)–उत्तर प्रदेष, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/01/डी0आर0/एस-11/2022-23 टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में डा0 अंशिता खरे का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	साक्षात्कार क्रमांक/अनुक्रमांक/एप्लीकेशन आई0डी0	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
अंशिता खरे	श्री कृपाल चन्द्र खरे	4	5/0102453/0091955 48000015	अयोध्या	गांधीनगर नाका, रामनगर, अयोध्या, उ0प्र0 224001	लेडी फिजीशियन के पद पर लखनऊ कालेज।

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्य-भार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(7) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः-सत्यापन या स्वः-घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

रंजन कुमार,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—32 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

18 जुलाई, 2025 ई0

सं0 2806/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0) ग्रेटर नोएडा/गौतमबुद्धनगर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद गौतमबुद्धनगर के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, कि महायोजना के अनुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से जनपद गौतमबुद्धनगर में सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए जनपद गौतमबुद्धनगर, तहसील सदर, परगना सदर, ग्राम घंघोला में कुल 0.2170 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1– सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या-2430/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर दिनांक 29 मई, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

2– भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

3– उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनाँक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय

अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	घंघोला	17M	0.2170 हेक्टेयर

5– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर जिला गौतमबुद्ध नगर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

6– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर गौतमबुद्ध नगर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर गौतमबुद्ध नगर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा सें,

राज्य सरकार/कलेक्टर

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act, 2013]

NOTIFICATION

July 18, 2025

No. 2806/8-ADM(L.A.)/Greater Noida/Gautambudh Nagar–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of well planned development of District Gautam

Budha Nagar is of the opinion that a total of 0.2170 hectares of land is required in the Village Ghanghola, Pargana Dankaur, Tehsil Sadar, District Gautam Buddha Nagar for public purpose namely Planned Industrial Development according of Master Plan through Greater Noida Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by Gautam Buddha University Social Impact Assessment agency and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 2430/Aath-A.D.M(L.A)/Greater Noida, Gautam Budha Nagar Dated 29.05.25

3. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

4. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/I-13-2014-7ka(8)/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

5. There fore, the Governor is pleased to Accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for this purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
Gautam Budh Nagar	Sadar	Dankaur	Ghanghola	17M	0.2170 *Hectares*

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector District Gautam Buddha Nagar for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person whose interest in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Gautam Buddha Nagar.

8. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector District Gautam Buddha Nagar shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

NOTE- A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Gautam Budha Nagar.

By Order,
State Government/Collector

राजस्व-विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

09 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 2181/अ0जि0भू0अ0/आगरा–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश, सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग आगरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ''महाराजा छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास सम्बन्धी स्थान को चिन्हित कर संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाने'' हेतु जनपद-आगरा, तहसील-सदर, परगना-सदर, ग्राम- खतैना, के गाटा संख्या-560 में स्थित कोठी एवं उससे संलग्न कुल 2946.75 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता है।

2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आगरा, नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

(1) ''महाराजा छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास सम्बन्धी स्थान को चिन्हित कर संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाने'' हेतु।

(2) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4– भूमि अर्जन के कारण कुल (कोई नहीं) परिवार के विस्थापित होने की संभावना है एक विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

–शून्य–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आगरा को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5– अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है–

क्र0 सं0	भू-खण्ड सं0/गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	अभियुक्ति, यदि कोई
1	2	3	
1	560	कोठी एवं उससे संलग्न 2946.75	

6– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

राज्य सरकार/कलेक्टर,

आगरा।

REVENUE DEPARTMENT

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

September 09, 2025

No. 2181/A.D.M.(L.A.)/AGRA–Under Sub-section (1) of section 11 of the Right Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government Of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a Kothi and Atteched Area 2946.75 sq/m of land is required in the Village Khataina, Pargana and Tehsil-Sadar, District-Agra for public purpose, namely, project To Identified a place related to the glorious history of Maharaj Chatrapati Shivaji and developed it as a museum through U.P. Tourism Department, Agra (name of requiring body.)

2- Social Impact Assessment study was carried out by the A.D.M.(F/R) Agra Nodal Officer of Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated August 01, 2025.

3- The summary of the Social Impact Assessment Report as follows-

(1) Land is required for public purpose Namely, project To project To Identified a place related to the glorious history of Maharaj Chatrapati Shivaji and developed it as a museum.

(2) There is no any other Anty Effect construction on of this project.

4. A Total of No one families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under-

Deputy Collector/Assistant Collector A.D.M.(F/R) Agra is appointed as 'Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose –

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
Agra	Sadar	Sadar	Khataina	560	Kothi and Attached Area 2946.75 Sq. Mtr.

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (60 Days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By Order,

State Governor/Collector.

लोक निर्माण विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

25 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 4394/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जनपद बिजनौर में नजीबाबाद बालाबाली लक्सर मार्ग पर बालाबाली के निकट गंगा नदी पर सेतु की पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु मार्ग में संरेक्षण में पड़ने वाली जिला व तहसील बिजनौर के ग्राम जहानाबाद बी0ए0 परगना मण्डावर तहसील बिजनौर का कुल रकबा 0.7266 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1– अधिनियम की धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार इस परियोजना में धारा 4 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन राजकीय पालीटेक्निक बिजनौर द्वारा किया गया तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशांसा/आख्या दिनांक 31 जुलाई, 2024 व 03 सितम्बर, 2024 में प्रस्तुत की गयी तथा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन/सामाजिक समाधात प्रबन्धन के मूल्यांकन की बहुंशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन आख्या 08 अक्टूबर, 2024 मे प्रस्तुत की गयी जिसे समुचित सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप सख्या 3916 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इसका दो दैनिक समाचार-पत्रो अमर उजाला व हिन्दुस्तान में दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 में प्रकाशन कराने के उपरान्त सामाजिक समाधात निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है ।

2– इस प्रस्ताव में तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 20 जुलाई, 2024 एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बिजनौर/लेखपाल की जांच आख्या दिनांक 14 जुलाई, 2025 के अनुसार गाटा सं0 219, 173 व 142 के कुछ अंश पर टीन के पटे फैक्ट्री क्वार्टस बने हैं जिसमें चार परिवार प्रभावित हो रहें हैं ।

3– अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	बिजनौर	मण्डावर	जहानाबाद बी0ए0	219	0.3160
				173	0.0452
				142	0.1488
				129	0.1416
				128	0.0500
				131	0.0250
				योग–	**0.7266**

4– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

5– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (11)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अधीन]

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 1554/आठ-अ0जि0(भू0अ0)कानपुर नगर–चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना सं0-1554/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर/दिनांक 24 अक्टूबर, 2024, लोक प्रयोजन, अर्थात अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण

विभाग, कानुपर नगर के माध्यम से जनपद कानपुर नगर में चकेरी एयरपोर्ट में सम्पर्क मार्ग हेतु ग्राम चकेरी की 0.3027 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और राजकीय गजट में दिनांक 08 मार्च, 2025 को प्रकाशित की गई थी।

2– उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते है कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा-प्रदत्त ग्राम, तहसील और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित नही की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नही है)।

3– कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रकाशन करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निर्देश देते है। चूंकि जनपद कानपुर नगर तहसील सदर में चकेरी एयरपोर्ट के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नही है। अतएवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश के प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नही है–

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जनाधीन भूमि)

जनपद	तहसील	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
कानपुर नगर	सदर	चकेरी	64	0.1187
			66	0.1840
			योग. .	**0.3027**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर–
कानपुर नगर	सदर	चकेरी	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
कानपुर नगर।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule-27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-Section (1) of Section-19 of the Act]

NOTIFICATION

October 16, 2025

No. 1554/VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar–Since the preliminary notification No.- 1554/VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar / dated 24.10.2024, public purpose, *i.e*. through the Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Kanpur Nagar for the Construction of Link Road to Chakeri Airport, Village-Chakeri in Tehsil-Sadar, District-Kanpur Nagar, in relation to 0.3027 hectares of land in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of the Right to Fair Compensation and Transparency Act-2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) of section-11 Issued under Sub-section (1) and published in the Official *Gazette* on 08.03.2025.

2. After considering the report submitted in pursuance of the provision under Sub-section (2) of section-15 of the said Act, the Collector declares under Sub-section (1) of section-19 of the said Act that he is satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" below is necessary for public purpose and no land in the Village, pargana and District has been identified for rehabilitation and resettlement of the displaced families as given in Schedule "B" (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

3. The Collector further instructs to publish the rehabilitation and resettlement plan in brief along-with publication of announcement to this effect under Sub-section (2) of Section-19 of the said Act. Since land acquisition for Construction of Link Road to Chakeri Airport in district Kanpur Nagar is not likely to displace any family, therefore, there is no need to identify any land for rehabilitation and resettlement and publish the summary of the rehabilitation and resettlement plan.

Schedule "A"

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for Acquisition
1	2	3	4	5
				In Hectares
Kanpur Nagar	Sadar	Chakeri	64	0.1187
			66	0.1840
			Total. .	**0.3027**

Schedule "B"

(Land Marked as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for Acquisition
1	2	3	4	5
				In Hectare
Kanpur Nagar	Sadar	Chakeri	NIL	NIL

(No family is likely to be displaced due to land Acquisition for this project)

Note- Site map of the said land can be seen in the Office of Additional District Magistrate (Land Acquisition) 37/17 Westcott Building, Mall Road, Kanpur Nagar.

By Order,
Collector,
Kanpur Nagar.

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

08 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 679/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6, 7 व 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार संदभित भूमि ''सहायक पुलिस आयुक्त, शमशाबाद के कार्यालय/न्यायालय'' के निर्माण हेतु पुलिस विभाग के निवर्तन पर रखते हुए पुलिस आयुक्त, कनिश्नरेट आगरा को इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ कि यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर सहायक पुलिस आयुक्त, शमशाबाद के कार्यालय/न्यायालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	सिकतरा	1142	0.0625 हेक्टेयर	5(3)ड बंजर	सहायक पुलिस आयुक्त, शमशाबाद के कार्यालय/न्यायालय के निर्माण हेतु

सं0 680/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि ''बाल विकास परियोजना कार्यालय'' की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश शासन के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निवर्तन पर रखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

अनुसूची–1

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	लहर पट्टी लहर	236	0.0500 हेक्टेयर	नवीन परती	बाल विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना हेतु

21 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 730/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6, 7 व 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार सन्दर्भित उक्त भूमि ''सहायक पुलिस आयुक्त, फतेहाबाद के न्यायालय'' के निर्माण हेतु पुलिस विभाग के निवर्तन पर रखते हुए पुलिस आयुक्त, कनिश्नरेट आगरा को इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ कि यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर सहायक पुलिस आयुक्त, फतेहाबाद के न्यायालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	मडायना	791मि0	1.8600 में से रकवा 0.2000 हेक्टेयर	5(1) नवीन परती	सहायक पुलिस आयुक्त, फतेहाबाद के न्यायालय के निर्माण हेतु

सं0 731/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6, 7 व 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार सन्दर्भित भूमि ''सहायक पुलिस आयुक्त, खेरागढ़ के कार्यालय/न्यायालय तथा आवास'' के निर्माण हेतु पुलिस विभाग के निवर्तन पर रखते हुए पुलिस आयुक्त, कनिश्नरेट आगरा को इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ कि यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर सहायक पुलिस आयुक्त, खेरागढ़ के कार्यालय/न्यायालय तथा आवास का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	चीत	445	1.1494 में से 0.4594 हेक्टेयर	6(4) ऊसर	सहायक पुलिस आयुक्त, खेरागढ़ के कार्यालय/न्यायालय तथा आवास के निर्माण हेतु

16 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 824/डी0एल0आर0सी–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मेरे पूर्वाधिकारी के आदेश संख्या-518/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 07 सितम्बर, 2024 के अन्तर्गत ग्राम, धिमिश्री, तहसील-फतेहाबाद के गाटा संख्या 1049

रकवा 0.0460 है0 (बंजर भूमि) तथा गाटा संख्या 1050 रकवा 0.0920 है0 में से 0.0460 है0 (व्यायाम-शाला) की भूमि को राजकीय यूनानी चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहित की गई है।

उक्त आदेश में हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करते हुए, मैं, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, ''राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु, उत्तर प्रदेश शासन के आयुष विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) के निवर्तन पर रखते हुए जिला-क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी-आगरा को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

1– पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2– यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर ''राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा–

अनुसूची–1

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	धिमिश्री	1049	0.0460	बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश के पक्ष में।
					1050	0.0920 में से 0.0460	व्यायाम-शाला	
					योग. .	**0.0920**		

24 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 856 / डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6, 7 व 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार सन्दर्भित भूमि ''पुलिस चौकी'' के निर्माण हेतु पुलिस विभाग के निवर्तन पर रखते हुए पुलिस आयुक्त, कनिश्नरेट-आगरा को इस प्रतिबन्ध / शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ– कि यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर पुलिस चौकी का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	ऊसरा	354	0.6220 में से 0.0300	5(3)ड़ बंजर	आगरा-ग्वालियर हाइवे पर कुर्रा मोड़ के पास ''पुलिस चौकी'' के निर्माण हेतु।

अरविन्द मल्लप्पा बंगारी,
जिलाधिकारी-आगरा।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, झांसी

31 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 66 / 23-एल0बी0ए0-21(2024-25)–आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी की विज्ञप्ति संख्या 2977-78 / 23-एल0बी0ए0-58(91-92), दिनांक 18-04-1998, संख्या 77–78 / 23-एल0बी0ए0-58(91-92), दिनांक 08-10-2001, संख्या 4445-46 / 23-एल0बी0ए0-58(91-92), दिनांक 07-06-2003, संख्या 2967 / 23-एल0बी0ए0-58(91-92), दिनांक 08-05-2007, संख्या 3383-84 / 23-एल0बी0ए0-58(91-92), दिनांक 06-09-2012, एवं संख्या 142 / 23-एल0बी0ए0-4(2018-19), दिनांक 28-10-2020, द्वारा प्रख्यापित जनपद जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक भूमि अथवा निजी भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाले बाजारों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी तहबाजारी उपविधियों में जिला पंचायत, जालौन द्वारा उपविधि संख्या–14 के अनुसार प्रभावी दर सूची की मद संख्या–01 लगायत 06 की दरों में संषोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। एतद्द्वारा उ0प्र0 जिला पंचायत विधि संषोधन अधिनियम, 1994 द्वारा संषोधित उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अधीन संषोधन को पुष्टिकृत करते हुये, संषोधित सूची को नीचे इस प्रयोजन से प्रकाषित किया जाता है कि संषोधित दरें गजट के प्रकाषन की तिथि से प्रभावी होगी–

संशोधन

क्रम सं0	वर्तमान उपनियम	प्रचलित दरें	संषोधित दरें
1	नौकाघाट/नदीतल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का छोटा ट्रक/डम्फर	रु0 200.00 प्रति ट्रक/डम्फर	रु0 250.00 प्रति ट्रक/डम्फर
2	नौकाघाट/नदीतल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का छोटा मेटाडोर/ट्रैक्टर प्रति ट्राली	रु0 100.00 प्रति मेटाडोर/ट्रैक्टर प्रति ट्राली	रु0 125.00 प्रति मेटाडोर/ट्रैक्टर प्रति ट्राली
3	नौकाघाट/नदीतल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का छोटा ट्रक/डम्फर (6 टायर से ऊपर)	रु0 300.00 प्रति ट्रक/डम्फर	रु0 375.00 प्रति ट्रक/डम्फर
4	नौकाघाट/नदीतल व नालों से प्राप्त होने वाली बालू भरने का छोटा ट्रक/डम्फर (10 टायर से ऊपर)	रु0 400.00 प्रति ट्रक/डम्फर	रु0 500.00 प्रति ट्रक/डम्फर
5	गिट्टी/पत्थर बोल्डर एवं पहाड़ों से क्षरण होने वाली मौरम का भरा ट्रक/डम्फर (6 टायर से ऊपर)	रु0 300.00 प्रति ट्रक/डम्फर	रु0 375.00 प्रति ट्रक/डम्फर
6	गिट्टी/पत्थर बोल्डर एवं पहाड़ों से क्षरण होने वाली मौरम का भरा ट्रक/डम्फर (10 टायर से ऊपर)	रु0 400.00 प्रति ट्रक/डम्फर	रु0 500.00 प्रति ट्रक/डम्फर

14 (अ) इस तहबाजारी की वसूली हेतु ठेके के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 18-09-2025 में वर्णित षर्तो ''तहबाजारी की वसूली हेतु ठेके की स्थिति में अपर मुख्यधिकारी, जिला पंचायत, जालौन की स्वीकृति से वसूली हेतु केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों से गुजरने वाले वाहनों से उक्त संषोधित षुल्क वसूल किया जायेगा, किन्तु इस वसूली के प्रयोजन हेतु कोई बेरियर जिला पंचायत, जालौन द्वारा नहीं लगाया जायेगा''।

विमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी।

पी0एस0यू0पी0—32 हिन्दी गजट—भाग 3—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

10 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 मा0शि0प0/परिषद–9/789– सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या–1011/15–7–2025–1(27)/2022 दिनांक 23 सितम्बर, 2025 के माध्यम से प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता के नवीन मानकों/शर्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–2232/15–7–2022–1(27)/2022 दिनांक 26.12.2022 के संलग्नक में परिषद विनियम के अध्याय–सात के प्रस्तर–9(अ) एवं (ब) में वर्णित मान्यता के नवीन अनिवार्य मानकों/शर्तों में प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष की बढ़ी हुयी धनराशि के स्थान पर इण्टरमीडिएट स्तर पर अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता हेतु आनुपातिक रूप से इण्टरमीडिएट स्तर पर आवेदित अतिरिक्त वर्ग/विषय की संख्या (05 वर्ग/विषय में से) के अनुसार परिषद विनियमों के अध्याय–सात के सुसंगत विनियमों में निम्नवत् शिथिलीकरण प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है:– :–

वर्तमान विनियम	प्रतिस्थापित विनियम
1	2
विनियम–9 (अ)(क)(3) प्राभूत कोष– प्राभूत कोष के रूप में रूपये 5,00,000/– (रूपये पांच लाख मात्र) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार नहीं होगा।	विनियम–9 (अ)(क)(3) प्राभूत कोष– प्राभूत कोष के रूप में रूपये 5,00,000/– (रूपये पांच लाख मात्र) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार नहीं होगा। किन्तु कोई संस्था जो कि इण्टरमीडिएट स्तर पर

1	2
	अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के लिए आवेदन करती हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के लिए प्राभूत कोष के रूप में रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा।
विनियम–9 (अ)(क)(4) सुरक्षित कोष– सुरक्षित कोष के रूप में रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा।	विनियम–9 (अ)(क)(4) सुरक्षित कोष– सुरक्षित कोष के रूप में रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा। किन्तु कोई संस्था जो कि इण्टरमीडिएट स्तर पर अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के लिए आवेदन करती हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के लिए सुरक्षित कोष के रूप में रूपये 30,000/– (तीस हजार रूपये) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा।
विनियम–9(ब)(क)(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष–इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष रूपये 2,00,000/– तथा सुरक्षित कोष रूपये 1,00,000/– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य है।	विनियम–9(ब)(क)(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष–इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष रूपये 2,00,000/– तथा सुरक्षित कोष रूपये 1,00,000/– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य है। किन्तु कोई संस्था जो कि इण्टरमीडिएट स्तर पर अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के लिए प्राभूत कोष रूपये 40,000/– (चालीस हजार रूपये) तथा सुरक्षित कोष रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा।

भगवती सिंह,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 4–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–77 मा0शि0प0–07.11.2025–3000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965

(अधिनियम सं0–1 सन् 1966, उ0प्र0 अधिनियम सं0–7 द्वारा संशोधित) धारा–32(1) के अधीन

(भूमि अर्जन अनुभाग)

सूचना

08 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 1328/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–3 भाग.3–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या.1 सन् 1966) (उ0प्र0 अधिनियम संख्या.7 सन् 2010 द्वारा संशोधित) धारा.32(1) के अन्तर्गत एतद् द्वारा यह विज्ञाप्ति किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा ''उन्नाव भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या.03, उन्नाव'' का उक्त अधिनियम की धारा.28 के अधीन 581.48 एकड़ का उ0प्र0 गजट में प्रथम प्रकाशन दिनांक 04 सितम्बर, 2010 को कराया गया। उक्त योजना में धारा.28 के बाहर के खसरों को विलोपित करते हुए तथा प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत नियोजन समिति द्वारा आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को करते हुए क्षेत्रफल 2.8971 एकड़ भूमि समायोजित करने के उपरान्त 163.48 एकड़ भूमि पर परिषद अधिनियम.1965 की धारा.31(1) की स्वीकृति मा0 परिषद की 266वीं बैठक दिनांक 12 जून, 2024 के मद संख्या.266/28 पर प्रदान की गयी थी।

उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम.गदन खेड़ा, सिंगरौसी व उन्नाव खास परगना.तहसील व जिला–उन्नाव के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र 1414/आठ–2/24/02 एच0बी0/2024 दिनांक 27.09.2024 द्वारा परिषद अधिनियम–1965 की धारा–31 की उपधारा–2 के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 152.9700 एकड़ की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–43/2024/आई–712473/2024–8–3099/335/2024 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, दिनांक 08 अगस्त, 2024 द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में उक्त योजना के ग्रामों के खसरों का मिलान जोत आकार पत्र 41 एवं 45 से कराते हुए परिषद द्वारा धारा–31(1) के अन्तर्गत पूर्व में अनुमोदित क्षेत्रफल 163.48 एकड़ के सापेक्ष 165.8360 एकड़ का संशोधित धारा–31(1) का प्रस्ताव राज्य सरकार को संदर्भित करने के लिए मा0 निदेशक मण्डल की 272वीं बैठक दिनांक 22.07.2025 के मद संख्या–272/18 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–31(1) के अन्तर्गत, परिषद निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के अधीन, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-I/1085883/2025/8-2099/90/2025 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 11.09.2025 द्वारा उक्त योजना की धारा–31 की उप धारा–2 के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसका गजट प्रकाशन परिषद अधिनियम–1965 की धारा–32 के अंतर्गत किया जाना है।

उक्त ''उन्नाव भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–03, उन्नाव'' के अन्तर्गत ग्राम–गदन खेड़ा व सिंगरौसी की अर्जित की जाने वाली भूमिका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	ग्राम व परगना व तहसील व जिले का नाम	खसरा संख्या	आकार पत्र 41. 45 के अनुसार खसरों का कुल क्षेत्रफल	आकार पत्र 41.45 के अनुसार धारा.28 के अन्तर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त क्षेत्रफल	धारा.32 के अन्तर्गत अध्याप्ति किये जाने हेतु क्षेत्रफल का0 (5.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	गदन खेड़ा (अ0न0पा0)	198	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
2	,,	199	0.4090	0.4090	0.0000	0.4090
3	,,	200	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
4	,,	201	0.5770	0.5770	0.0000	0.5770
5	,,	202	0.1780	0.1780	0.0000	0.1780
6	,,	203	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
7	गदन खेड़ा (ब0न0पा0)	204	0.2620	0.2620	0.0000	0.2620
8	,,	205	0.3056	0.3056	0.0000	0.3056
9	,,	206	0.2264	0.2264	0.0000	0.2264
10	,,	207	0.3056	0.3056	0.0000	0.3056
11	,,	208	0.1566	0.1566	0.0000	0.1566
12	,,	209	0.1566	0.1566	0.0000	0.1566
13	,,	210	0.0196	0.0196	0.0000	0.0196
14	,,	211	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
15	,,	212	0.0764	0.0764	0.0000	0.0764
16	,,	213	0.0456	0.0456	0.0000	0.0456
17	,,	214	0.0604	0.0604	0.0000	0.0604
18	,,	215	0.2004	0.2004	0.0000	0.2004
	योग (अ)	(हे0 में)	**3.1872**	**3.1872**	**0.0000**	**3.1872**

1	2	3	4	5	6	7
1	सिंगरौसी (ब0न0पा0)	135	0.1354	0.1000	0.0000	0.1000
2	,,	136	1.0204	0.2100	0.0000	0.2100
3	,,	137	0.1950	0.1710	0.0000	0.1710
4	,,	138	0.1950	0.0400	0.0000	0.0400
5	,,	139	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
6	,,	162	0.2920	0.1300	0.0000	0.1300
7	,,	163	0.2080	0.1800	0.0000	0.1800
8	,,	164	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
9	,,	165	0.0060	0.0050	0.0000	0.0050
10	,,	178	0.2702	0.0550	0.0000	0.0550
11	,,	179	0.1502	0.0750	0.0000	0.0750
12	,,	180	0.2370	0.2370	0.0000	0.2370
13	,,	181	0.6190	0.6190	0.0000	0.6190
14	,,	182	0.7608	0.7000	0.0000	0.7000
15	,,	183	0.0468	0.0400	0.0000	0.0400
16	,,	184	0.3612	0.3531	0.0000	0.3531
17	,,	185	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
18	,,	186	0.3204	0.3204	0.0000	0.3204
19	,,	187	0.9654	0.9654	0.0000	0.9654
20	,,	188	0.0474	0.0474	0.0000	0.0474
21	,,	189	1.3928	1.3928	0.0000	1.3928
22	,,	190	0.8294	0.8294	0.0000	0.8294
23	,,	191	0.1868	0.1868	0.0000	0.1868
24	,,	192	0.0368	0.0368	0.0000	0.0368
25	,,	193	0.0368	0.0368	0.0000	0.0368
26	,,	194	0.5220	0.5220	0.0000	0.5220
27	,,	195	0.5226	0.5226	0.0000	0.5226
28	,,	196	0.0036	0.0036	0.0000	0.0036
29	,,	197	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
30	,,	198	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950

1	2	3	4	5	6	7
31	सिंगरौसी (ब0न0पा0)	199	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
32	,,	200	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
33	,,	201	0.1154	0.1154	0.0000	0.1154
34	,,	202	0.1154	0.1154	0.0000	0.1154
35	,,	203	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
36	,,	204	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
37	,,	205	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
38	,,	206	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
39	,,	207	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
40	,,	208	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
41	,,	209	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
42	,,	210	0.0556	0.0556	0.0000	0.0556
43	,,	211	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
44	,,	212	0.0486	0.0486	0.0000	0.0486
45	,,	213	0.1998	0.1998	0.0000	0.1998
46	,,	214	0.2246	0.2246	0.0000	0.2246
47	,,	215	0.0314	0.0314	0.0000	0.0314
48	,,	216	0.5108	0.5108	0.2375	0.2733
49	,,	217	0.0184	0.0184	0.0184	0.0000
50	,,	218	0.0244	0.0244	0.0244	0.0000
51	,,	219	0.0178	0.0178	0.0000	0.0178
52	,,	220	0.4582	0.4582	0.0000	0.4582
53	,,	221	0.0136	0.0136	0.0000	0.0136
54	,,	222	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
55	,,	223	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
56	,,	224	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
57	,,	225	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
58	,,	226	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
59	,,	227	0.0244	0.0244	0.0000	0.0244
60	,,	228	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390

1	2	3	4	5	6	7
61	सिंगरौसी (अ0न0पा0)	229	0.0278	0.0278	0.0000	0.0278
62	,,	230	0.3570	0.3570	0.0000	0.3570
63	,,	231	0.3594	0.3594	0.0000	0.3594
64	,,	232	0.3158	0.3158	0.0000	0.3158
65	,,	233	0.4168	0.4168	0.0000	0.4168
66	,,	234	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
67	,,	235	0.0544	0.0544	0.0000	0.0544
68	,,	236	0.3458	0.3458	0.0000	0.3458
69	,,	237	0.6662	0.6662	0.0000	0.6662
70	,,	238	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
71	,,	239	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
72	,,	240	0.0114	0.0114	0.0000	0.0114
73	,,	241	0.3606	0.3606	0.0000	0.3606
74	,,	242	0.3600	0.3400	0.0000	0.3400
75	,,	243	0.3588	0.2000	0.0000	0.2000
76	,,	244	0.0272	0.0136	0.0000	0.0136
77	,,	246	0.3666	0.1500	0.0000	0.1500
78	,,	376	0.2418	0.2418	0.0000	0.2418
79	,,	377	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
80	,,	378	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
81	,,	379	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
82	,,	380	0.0792	0.0792	0.0000	0.0792
83	,,	381	0.0438	0.0438	0.0000	0.0438
84	,,	382	0.3282	0.3282	0.0000	0.3282
85	,,	393	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
86	,,	394	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
87	,,	395	0.4740	0.4740	0.0000	0.4740
88	,,	396	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
89	,,	397	0.2210	0.2210	0.0000	0.2210
90	,,	398	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390

1	2	3	4	5	6	7
91	सिंगरौसी (अ0न0पा0)	399	0.3440	0.3440	0.0000	0.3440
92	,,	400	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
93	,,	401	0.1300	0.1300	0.0000	0.1300
94	,,	402	0.3440	0.3320	0.0890	0.2430
95	,,	404	0.3180	0.1580	0.0000	0.1580
96	,,	405	0.1690	0.1690	0.0000	0.1690
97	,,	406	0.8370	0.8370	0.0000	0.8370
98	,,	407	0.8890	0.8890	0.0000	0.8890
99	,,	408	0.2880	0.2880	0.0000	0.2880
100	,,	409	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
101	,,	410	0.2358	0.2358	0.0000	0.2358
102	,,	411	0.4180	0.4180	0.0000	0.4180
103	,,	412	0.4220	0.4220	0.0000	0.4220
104	,,	413	0.2880	0.2880	0.0000	0.2880
105	,,	414	0.2672	0.2672	0.0000	0.2672
106	,,	415	0.0780	0.0700	0.0000	0.0700
107	,,	416	0.1300	0.0600	0.0000	0.0600
108	,,	418	0.3960	0.2200	0.0000	0.2200
109	,,	419	0.3778	0.3000	0.0000	0.3000
110	,,	466	0.7530	0.0200	0.0000	0.0200
111	,,	473	0.7916	0.3955	0.0000	0.3955
112	,,	474	0.7270	0.7000	0.0000	0.7000
113	,,	475	0.2140	0.2140	0.0000	0.2140
114	,,	476	0.4848	0.4848	0.0000	0.4848
115	,,	477	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
116	,,	478	0.9286	0.9286	0.0000	0.9286
117	,,	479	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
118	,,	480	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
119	,,	481	0.1442	0.1442	0.0000	0.1442
120	,,	482	0.4350	0.4350	0.0000	0.4350

1	2	3	4	5	6	7
121	सिंगरौसी (अ0न0पा0)	483	0.2590	0.2590	0.0000	0.2590
122	,,	484	0.5752	0.5752	0.0000	0.5752
123	,,	485	0.4740	0.4740	0.1196	0.3544
124	,,	486	1.2070	1.2070	0.0280	1.1790
125	,,	487	0.3152	0.3152	0.0000	0.3152
126	,,	488	0.2920	0.2920	0.0000	0.2920
127	,,	489	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
128	,,	490	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950
129	,,	491	0.1380	0.1380	0.0000	0.1380
130	,,	492	0.1600	0.1600	0.0000	0.1600
131	,,	493	0.1820	0.1820	0.0000	0.1820
132	,,	494	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
133	,,	496	0.1690	0.1690	0.0000	0.1690
134	,,	497	0.3570	0.3570	0.0000	0.3570
135	,,	498	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
136	,,	499	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
137	,,	500	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
138	,,	501	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
139	,,	502	0.8330	0.8330	0.0000	0.8330
140	,,	503	0.2536	0.2536	0.0000	0.2536
141	,,	504	0.1040	0.1040	0.0000	0.1040
142	,,	505	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
143	,,	506	0.2210	0.2210	0.0000	0.2210
144	,,	507	0.5000	0.5000	0.0000	0.5000
145	,,	508	0.1560	0.1560	0.0000	0.1560
146	,,	509	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
147	,,	510	0.2926	0.2926	0.0000	0.2926
148	,,	511	0.5840	0.5840	0.0000	0.5840
149	,,	512	0.6880	0.6880	0.0000	0.6880
150	,,	513	0.8430	0.8430	0.0000	0.8430

1	2	3	4	5	6	7
151	सिंगरौसी (अ0न0पा0)	514	0.3440	0.3440	0.0000	0.3440
152	,,	515	0.2826	0.2826	0.0000	0.2826
153	,,	516	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
154	,,	517	0.4220	0.4220	0.0000	0.4220
155	,,	518	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
156	,,	519	0.9800	0.9800	0.0000	0.9800
157	,,	520	0.1820	0.1820	0.0000	0.1820
158	,,	521	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
159	,,	522	0.5580	0.5580	0.0000	0.5580
160	,,	523	0.2920	0.2920	0.0000	0.2920
161	,,	524	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
162	,,	525	0.9800	0.9800	0.0000	0.9800
163	,,	526	0.2210	0.2210	0.0000	0.2210
164	,,	527	0.1300	0.1300	0.0000	0.1300
165	,,	528	0.3960	0.3960	0.0000	0.3960
166	,,	529	0.2488	0.2488	0.0000	0.2488
167	,,	530	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
168	,,	531	0.1792	0.1792	0.0000	0.1792
169	,,	532	0.5580	0.5580	0.0000	0.5580
170	,,	533	0.2744	0.2744	0.0000	0.2744
171	,,	534	0.2548	0.2548	0.0000	0.2548
172	,,	535	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
173	,,	536	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
174	,,	537	1.0380	1.0380	0.0000	1.0380
175	,,	538	0.5202	0.5202	0.0000	0.5202
176	,,	539	0.2518	0.2518	0.0000	0.2518
177	,,	540	0.4640	0.4640	0.0000	0.4640
178	,,	541	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
179	,,	542	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
180	,,	543	0.1916	0.1916	0.0000	0.1916

1	2	3	4	5	6	7
181	सिंगरौसी (अ0न0पा0)	544	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
182	,,	545	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
183	,,	546	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
184	,,	547	0.3310	0.3310	0.0000	0.3310
185	,,	558	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
186	,,	559	0.2530	0.1900	0.0000	0.1900
187	,,	560	0.3700	0.3700	0.0000	0.3700
188	,,	561	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
189	,,	562	0.8424	0.8424	0.0000	0.8424
190	,,	563	0.3830	0.2500	0.0000	0.2500
191	,,	564	0.4480	0.0100	0.0000	0.0100
192	,,	1108	0.3310	0.3310	0.0000	0.3310
193	,,	1109	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
194	,,	1110	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
195	,,	1111	2.1670	2.1670	0.0000	2.1670
196	,,	1112	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
197	,,	1113	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
198	,,	1114	0.5060	0.5060	0.0000	0.5060
199	,,	1115	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
200	,,	1116	1.4860	1.4860	0.0000	1.4860
201	,,	1117	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950
202	,,	1118	0.3570	0.3570	0.0000	0.3570
203	,,	1119	0.4740	0.4740	0.0000	0.4740
204	,,	1120	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
205	,,	1121	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
206	,,	1122	0.4540	0.4540	0.0000	0.4540
207	,,	1123	0.2270	0.2270	0.0000	0.2270
208	,,	1124	0.1170	0.1170	0.1170	0.0000
209	,,	1125	0.0650	0.0650	0.0650	0.0000
210	,,	1126	0.0780	0.0780	0.0780	0.0000

1	2	3	4	5	6	7
211	सिंगरौसी (अ0न0पा0)	1128	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
212	,,	1129	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
213	,,	1130	0.4870	0.4870	0.0000	0.4870
214	,,	1243	3.9900	3.9900	0.0000	3.9900
215	,,	1244	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
216	,,	1245	0.3960	0.3960	0.3960	0.0000
	योग (ब)	(हे0 में)	**69.4106**	**65.1258**	**1.1729**	**63.9529**
	महायोग (अ+ब)	(हे0 में)	**72.5978**	**68.3130**	**1.1729**	**67.1401**
	महायोग (अ+ब)	(एकड़ में)	**179.3166**	**168.7331**	**2.8971**	**165.8360**

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section 32(1) of the U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965

U.P. Act No. 1 of 1966 (as amended by U.P. Act No. 7]

Notification

October 08, 2025

No. 1328/ LAC / HQ /-3 Part-3–Under Section 32(1) of the Uttar Pradesh Housing and Development Board Act, 1965 (Act No. 1 of 1966) (as amended by U.P. Act No. 7 of 2010), it is hereby notified that the Uttar Pradesh Housing and Development Board had, under Section 28 of the said Act, published in the U.P. Gazette on 04.09.2010, the "Unnao Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna Sankhya-03, Unnao" covering an area of 581.48 acres. In the said scheme, excluding the khasras falling outside Section 28 and after hearing the objections by the Planning Committee on 15.12.2023, thereafter an adjustment of area 2.8971 acres for approval under Section 31(1) of the Board Act, 1965 was granted for 163.48 Acres of land by the Honorable Board in its 266th meeting held on 12.06.2024 under Item No. 266/28. With respect to the villages Gadankhera, Singrausi, and Unnao Khas, Tehsil and District Unnao, the Government of Uttar Pradesh, by its letter No. 1414/8-2/24/02HB/2024 dated 27.09.2024, has graciously accorded approval under Sub-Section (2) of Section 31 of the Board Act, 1965, for a total area of 152.9700 acres.

In compliance with the directions issued under Government Order No. 43/2024/I-712473/2024-8-3099/335/2024, Housing and Urban Planning Section-3, dated 08 August 2024, the khasras of the said villages were reconciled with aakaar-patra 41 and 45. Consequently, in comparison to the previously

approved area of 163.48 acres under Section 31(1), a revised proposal for 165.8360 acres under Section 31(1) was placed before the Honorable Board of Directors in its 272nd meeting held on 22.07.2025 under Item No. 272/18 for reference to the State Government. Upon due consideration, the Honorable Board of Directors unanimously approved the proposal.

Under Section 31(1) of the U.P. Housing and Development Board Act, 1965, and subject to the approval granted by the Board of Directors, the Government of Uttar Pradesh, through its letter No. I/1085883/2025/8-2099/90/2025, Housing and Urban Planning Section-2, Lucknow, dated 11.09.2025, has graciously accorded approval under Sub-Section (2) of Section 31 of the said Scheme. The Gazette publication of the same is to be made under Section 32 of the U.P. Housing and Development Board Act, 1965.

The details of the land to be acquired under the said "Unnao Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna Sankhya-03, Unnao" for the villages of Gadan Kheda and Singrausi are as follows:-

Sl. No.	Name of Village, Pargana, Tehsil and District	Khasra Number	Total area of the Khasras as per Form 41-45	Proposed area for acquisition under Section-28 as per Form 41-45	Area exempted from acquisition by the Planning Committee	Area to be acquired under Section-32 Col.(5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gadan Kheda (A.N.P.)	198	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
2	,,	199	0.4090	0.4090	0.0000	0.4090
3	,,	200	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
4	,,	201	0.5770	0.5770	0.0000	0.5770
5	,,	202	0.1780	0.1780	0.0000	0.1780
6	,,	203	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
7	Gadan Kheda (B.N.P.)	204	0.2620	0.2620	0.0000	0.2620
8	,,	205	0.3056	0.3056	0.0000	0.3056
9	,,	206	0.2264	0.2264	0.0000	0.2264
10	,,	207	0.3056	0.3056	0.0000	0.3056
11	,,	208	0.1566	0.1566	0.0000	0.1566
12	,,	209	0.1566	0.1566	0.0000	0.1566
13	,,	210	0.0196	0.0196	0.0000	0.0196
14	,,	211	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
15	,,	212	0.0764	0.0764	0.0000	0.0764
16	,,	213	0.0456	0.0456	0.0000	0.0456
17	,,	214	0.0604	0.0604	0.0000	0.0604
18	,,	215	0.2004	0.2004	0.0000	0.2004
	Total (A)	**In Hect.**	**3.1872**	**3.1872**	**0.0000**	**3.1872**

1	2	3	4	5	6	7
1	Singrosi (B.N.P.)	135	0.1354	0.1000	0.0000	0.1000
2	,,	136	1.0204	0.2100	0.0000	0.2100
3	,,	137	0.1950	0.1710	0.0000	0.1710
4	,,	138	0.1950	0.0400	0.0000	0.0400
5	,,	139	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
6	,,	162	0.2920	0.1300	0.0000	0.1300
7	,,	163	0.2080	0.1800	0.0000	0.1800
8	,,	164	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
9	,,	165	0.0060	0.0050	0.0000	0.0050
10	,,	178	0.2702	0.0550	0.0000	0.0550
11	,,	179	0.1502	0.0750	0.0000	0.0750
12	,,	180	0.2370	0.2370	0.0000	0.2370
13	,,	181	0.6190	0.6190	0.0000	0.6190
14	,,	182	0.7608	0.7000	0.0000	0.7000
15	,,	183	0.0468	0.0400	0.0000	0.0400
16	,,	184	0.3612	0.3531	0.0000	0.3531
17	,,	185	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
18	,,	186	0.3204	0.3204	0.0000	0.3204
19	,,	187	0.9654	0.9654	0.0000	0.9654
20	,,	188	0.0474	0.0474	0.0000	0.0474
21	,,	189	1.3928	1.3928	0.0000	1.3928
22	,,	190	0.8294	0.8294	0.0000	0.8294
23	,,	191	0.1868	0.1868	0.0000	0.1868
24	,,	192	0.0368	0.0368	0.0000	0.0368
25	,,	193	0.0368	0.0368	0.0000	0.0368
26	,,	194	0.5220	0.5220	0.0000	0.5220
27	,,	195	0.5226	0.5226	0.0000	0.5226
28	,,	196	0.0036	0.0036	0.0000	0.0036
29	,,	197	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
30	,,	198	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950

1	2	3	4	5	6	7
31	Singrosi (B.N.P.)	199	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
32	,,	200	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
33	,,	201	0.1154	0.1154	0.0000	0.1154
34	,,	202	0.1154	0.1154	0.0000	0.1154
35	,,	203	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
36	,,	204	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
37	,,	205	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
38	,,	206	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
39	,,	207	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
40	,,	208	0.0668	0.0668	0.0000	0.0668
41	,,	209	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
42	,,	210	0.0556	0.0556	0.0000	0.0556
43	,,	211	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
44	,,	212	0.0486	0.0486	0.0000	0.0486
45	,,	213	0.1998	0.1998	0.0000	0.1998
46	,,	214	0.2246	0.2246	0.0000	0.2246
47	,,	215	0.0314	0.0314	0.0000	0.0314
48	,,	216	0.5108	0.5108	0.2375	0.2733
49	,,	217	0.0184	0.0184	0.0184	0.0000
50	,,	218	0.0244	0.0244	0.0244	0.0000
51	,,	219	0.0178	0.0178	0.0000	0.0178
52	,,	220	0.4582	0.4582	0.0000	0.4582
53	,,	221	0.0136	0.0136	0.0000	0.0136
54	,,	222	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
55	,,	223	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
56	,,	224	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
57	,,	225	0.0462	0.0462	0.0000	0.0462
58	,,	226	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
59	,,	227	0.0244	0.0244	0.0000	0.0244
60	,,	228	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390

1	2	3	4	5	6	7
61	Singrosi (A.N.P.)	229	0.0278	0.0278	0.0000	0.0278
62	,,	230	0.3570	0.3570	0.0000	0.3570
63	,,	231	0.3594	0.3594	0.0000	0.3594
64	,,	232	0.3158	0.3158	0.0000	0.3158
65	,,	233	0.4168	0.4168	0.0000	0.4168
66	,,	234	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
67	,,	235	0.0544	0.0544	0.0000	0.0544
68	,,	236	0.3458	0.3458	0.0000	0.3458
69	,,	237	0.6662	0.6662	0.0000	0.6662
70	,,	238	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
71	,,	239	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
72	,,	240	0.0114	0.0114	0.0000	0.0114
73	,,	241	0.3606	0.3606	0.0000	0.3606
74	,,	242	0.3600	0.3400	0.0000	0.3400
75	,,	243	0.3588	0.2000	0.0000	0.2000
76	,,	244	0.0272	0.0136	0.0000	0.0136
77	,,	246	0.3666	0.1500	0.0000	0.1500
78	,,	376	0.2418	0.2418	0.0000	0.2418
79	,,	377	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
80	,,	378	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
81	,,	379	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
82	,,	380	0.0792	0.0792	0.0000	0.0792
83	,,	381	0.0438	0.0438	0.0000	0.0438
84	,,	382	0.3282	0.3282	0.0000	0.3282
85	,,	393	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
86	,,	394	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
87	,,	395	0.4740	0.4740	0.0000	0.4740
88	,,	396	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
89	,,	397	0.2210	0.2210	0.0000	0.2210
90	,,	398	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390

1	2	3	4	5	6	7
91	Singrosi (A.N.P.)	399	0.3440	0.3440	0.0000	0.3440
92	,,	400	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
93	,,	401	0.1300	0.1300	0.0000	0.1300
94	,,	402	0.3440	0.3320	0.0890	0.2430
95	,,	404	0.3180	0.1580	0.0000	0.1580
96	,,	405	0.1690	0.1690	0.0000	0.1690
97	,,	406	0.8370	0.8370	0.0000	0.8370
98	,,	407	0.8890	0.8890	0.0000	0.8890
99	,,	408	0.2880	0.2880	0.0000	0.2880
100	,,	409	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
101	,,	410	0.2358	0.2358	0.0000	0.2358
102	,,	411	0.4180	0.4180	0.0000	0.4180
103	,,	412	0.4220	0.4220	0.0000	0.4220
104	,,	413	0.2880	0.2880	0.0000	0.2880
105	,,	414	0.2672	0.2672	0.0000	0.2672
106	,,	415	0.0780	0.0700	0.0000	0.0700
107	,,	416	0.1300	0.0600	0.0000	0.0600
108	,,	418	0.3960	0.2200	0.0000	0.2200
109	,,	419	0.3778	0.3000	0.0000	0.3000
110	,,	466	0.7530	0.0200	0.0000	0.0200
111	,,	473	0.7916	0.3955	0.0000	0.3955
112	,,	474	0.7270	0.7000	0.0000	0.7000
113	,,	475	0.2140	0.2140	0.0000	0.2140
114	,,	476	0.4848	0.4848	0.0000	0.4848
115	,,	477	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
116	,,	478	0.9286	0.9286	0.0000	0.9286
117	,,	479	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
118	,,	480	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
119	,,	481	0.1442	0.1442	0.0000	0.1442
120	,,	482	0.4350	0.4350	0.0000	0.4350

1	2	3	4	5	6	7
121	Singrosi (A.N.P.)	483	0.2590	0.2590	0.0000	0.2590
122	,,	484	0.5752	0.5752	0.0000	0.5752
123	,,	485	0.4740	0.4740	0.1196	0.3544
124	,,	486	1.2070	1.2070	0.0280	1.1790
125	,,	487	0.3152	0.3152	0.0000	0.3152
126	,,	488	0.2920	0.2920	0.0000	0.2920
127	,,	489	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
128	,,	490	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950
129	,,	491	0.1380	0.1380	0.0000	0.1380
130	,,	492	0.1600	0.1600	0.0000	0.1600
131	,,	493	0.1820	0.1820	0.0000	0.1820
132	,,	494	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
133	,,	496	0.1690	0.1690	0.0000	0.1690
134	,,	497	0.3570	0.3570	0.0000	0.3570
135	,,	498	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
136	,,	499	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
137	,,	500	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
138	,,	501	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
139	,,	502	0.8330	0.8330	0.0000	0.8330
140	,,	503	0.2536	0.2536	0.0000	0.2536
141	,,	504	0.1040	0.1040	0.0000	0.1040
142	,,	505	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
143	,,	506	0.2210	0.2210	0.0000	0.2210
144	,,	507	0.5000	0.5000	0.0000	0.5000
145	,,	508	0.1560	0.1560	0.0000	0.1560
146	,,	509	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
147	,,	510	0.2926	0.2926	0.0000	0.2926
148	,,	511	0.5840	0.5840	0.0000	0.5840
149	,,	512	0.6880	0.6880	0.0000	0.6880
150	,,	513	0.8430	0.8430	0.0000	0.8430

1	2	3	4	5	6	7
151	Singrosi (A.N.P.)	514	0.3440	0.3440	0.0000	0.3440
152	,,	515	0.2826	0.2826	0.0000	0.2826
153	,,	516	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
154	,,	517	0.4220	0.4220	0.0000	0.4220
155	,,	518	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
156	,,	519	0.9800	0.9800	0.0000	0.9800
157	,,	520	0.1820	0.1820	0.0000	0.1820
158	,,	521	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
159		522	0.5580	0.5580	0.0000	0.5580
160	,,	523	0.2920	0.2920	0.0000	0.2920
161	,,	524	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
162	,,	525	0.9800	0.9800	0.0000	0.9800
163	,,	526	0.2210	0.2210	0.0000	0.2210
164	,,	527	0.1300	0.1300	0.0000	0.1300
165	,,	528	0.3960	0.3960	0.0000	0.3960
166	,,	529	0.2488	0.2488	0.0000	0.2488
167	,,	530	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
168	,,	531	0.1792	0.1792	0.0000	0.1792
169	,,	532	0.5580	0.5580	0.0000	0.5580
170	,,	533	0.2744	0.2744	0.0000	0.2744
171	,,	534	0.2548	0.2548	0.0000	0.2548
172	,,	535	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
173	,,	536	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
174	,,	537	1.0380	1.0380	0.0000	1.0380
175	,,	538	0.5202	0.5202	0.0000	0.5202
176	,,	539	0.2518	0.2518	0.0000	0.2518
177	,,	540	0.4640	0.4640	0.0000	0.4640
178	,,	541	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
179	,,	542	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
180	,,	543	0.1916	0.1916	0.0000	0.1916

1	2	3	4	5	6	7
181	Singrosi (A.N.P.)	544	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
182	,,	545	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
183	,,	546	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
184	,,	547	0.3310	0.3310	0.0000	0.3310
185	,,	558	0.2470	0.2470	0.0000	0.2470
186	,,	559	0.2530	0.1900	0.0000	0.1900
187	,,	560	0.3700	0.3700	0.0000	0.3700
188	,,	561	0.1430	0.1430	0.0000	0.1430
189	,,	562	0.8424	0.8424	0.0000	0.8424
190	,,	563	0.3830	0.2500	0.0000	0.2500
191	,,	564	0.4480	0.0100	0.0000	0.0100
192	,,	1108	0.3310	0.3310	0.0000	0.3310
193	,,	1109	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
194	,,	1110	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
195	,,	1111	2.1670	2.1670	0.0000	2.1670
196	,,	1112	0.0910	0.0910	0.0000	0.0910
197	,,	1113	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
198	,,	1114	0.5060	0.5060	0.0000	0.5060
199	,,	1115	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
200	,,	1116	1.4860	1.4860	0.0000	1.4860
201	,,	1117	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950
202	,,	1118	0.3570	0.3570	0.0000	0.3570
203	,,	1119	0.4740	0.4740	0.0000	0.4740
204	,,	1120	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
205	,,	1121	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
206	,,	1122	0.4540	0.4540	0.0000	0.4540
207	,,	1123	0.2270	0.2270	0.0000	0.2270
208	,,	1124	0.1170	0.1170	0.1170	0.0000
209	,,	1125	0.0650	0.0650	0.0650	0.0000
210	,,	1126	0.0780	0.0780	0.0780	0.0000

1	2	3	4	5	6	7
211	Singrosi (A.N.P.)	1128	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
212	,,	1129	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
213	,,	1130	0.4870	0.4870	0.0000	0.4870
214	,,	1243	3.9900	3.9900	0.0000	3.9900
215	,,	1244	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
216	,,	1245	0.3960	0.3960	0.3960	0.0000
	Total (B)	(In Hect.)	**69.4106**	**65.1258**	**1.1729**	**63.9529**
	G. Total (A+B)	(In Hect.)	**72.5978**	**68.3130**	**1.1729**	**67.1401**
	G. Total (A+B)	(In Acre)	**179.3166**	**168.7331**	**2.8971**	**165.8360**

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर पंचायत बभनान बाजार, बस्ती

23 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 197(1-5)/न0पं0ब0बा0/उपविधि/भवन निर्माण/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298 (2) के उपखण्ड-(क) क, ख, ग, घ, ड, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई हैं। उपविधि का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रकाशन कराया गया था। उक्त के सम्बन्ध में नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुक्षाव प्राप्त नही हुआ। तद्क्रम में नगर पंचायत बभनान बाजार, बस्ती के बोर्ड बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2024 प्रस्ताव संख्या 012 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से सूचित किया गया तद्क्रम में ''दैनिक समाचार-पत्र दैनिक-जागरण'' दिनांक 24 सितम्बर, 2024 व ''दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान'' दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित कराकर उपविधि का अन्तिम प्रकाशन कराया गया निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

भवन निर्माण उपविधि

1— **शीर्षक**— यह उपविधि नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती भवन निर्माण उपविधि के नाम से पुकारी जायेगी।

2— **प्रकृति**— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से नगर पंचायत बभनान बाजार जनपद बस्ती में प्रभावी रहेगी।

3— **परिभाषायें**— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1— **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-संख्या-2, 1916 से है।

2– **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती के अधिशासी अधिकारी से है।

3– **"बोर्ड/समिति"** का तात्पर्य नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती के बोर्ड/समिति से हैं।

4– **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5– **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती से है।

6– **"नगर पंचायत की सीमाओं"** का तात्पर्य वर्तमान में निधारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4– आवेदन– यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नोटिस) देगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा–

(क)– स्थल का मानचित्र– अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे–

1– स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

2– स्थल का नजरी नक्शा (की-प्लान) तथा भू विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

3– समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

4– भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5– विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6– स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्स का क्षेत्रफल।

7– प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

8– यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक्-पृथक् परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क रूप में जगह छोड़ी जाएगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)– भवनों का मानचित्र– भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में विकसित करना होगा।

1– प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों रोशन दानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ीयों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2– नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3– शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे– सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4– मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जाएगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जाएगा।

5– भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6– मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7– मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद जो निकाय में पंजीकृत हो, द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जाएगें।

8– उत्तर रेखा तथा प्रसुक्त पैमाना।

(ग)– अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे–

भवन का उद्देश्य–

- स्वयं रहने के लिए।
- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
- उद्योग धन्धों के लिए।
- रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जाएगा।

5– प्लान– इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित हैं मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र आवेदन शुल्क रु0 500.00 जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6– मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा आवेदन शुल्क की धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जाएगी।

7– शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा–

क्र0 सं0	भवन/ भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रुपये–	रुपये–
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	04.00	02.00
2	निवासीय भवन (ओपन एरिया)	01.00	01.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	05.00	03.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	02.00	02.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	08.00	06.00

1	2	3	4
		रुपये–	रुपये–
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	05.00	05.00
7	भू-खण्ड/प्लाटिंग एरिया	02.00	00.00
8	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 रुपया या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।		
9	प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

1– प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2– नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा-181 के अर्न्तगत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

3– सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

6– यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

7– धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बहच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

8– विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

9– 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

10– किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

11– स्वीकृत मानचित्र किसी भी प्रकार का उक्त भू-खण्ड के स्वामित्व का साक्ष्य नही होगा।

8– शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास– ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9– भवन में लैट्रिंग शोकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, बिना लैट्रिंग शोकपिट के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

10– नालियों– भवन की नालियॉ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियॉ बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11– पिलिन्थ (कुर्सी)– भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12– भवन की ऊँचाई– भू-तल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13– (क)– भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे

की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)– कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीनेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)– जंगले इस प्रकार बनाने जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ)– जीना– बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14– किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15– जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16– जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि वस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तो

को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17– निकाय/बोर्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम,1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बभनान बाजार, जनपद-बस्ती यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/–(एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा तो रु0 25/–(पच्चीस रुपये मात्र) अर्थ दण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

प्रबल मालानी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बभनान बाजार,
बस्ती।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दुर्गा दत्त सिंह पुत्र जनार्दन सिंह है। जो कि मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड और सभी शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज व अन्य शेयर जिनके फोलियो संख्या–102761114 और 002300711 में मेरा नाम राजन सिंह अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम हैं उपरोक्त दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दुर्गा दत्त सिंह पुत्र जनार्दन सिंह, के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दुर्गा दत्त सिंह,
पुत्र श्री जनार्दन सिंह,
पता– ग्राम द पो0 श्रीरामनगर हाफिजपुर,
हीरापट्टी, जिला आजमगढ़

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवेंद्र शर्मा (SHIVENDRA SHARMA) पुत्र राजेन्द्र शर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6963 7877 9042 में उसका नाम शिवेंदू शर्मा (SHIVENDHU SHARMA) अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवेंद्र शर्मा (SHIVENDRA SHARMA) पुत्र राजेन्द्र शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेन्द्र शर्मा,
ईडब्लू एस–544 ए0डी0ए0 कालोनी,
नीम सराय, मुण्डेरा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनिका सिंह है, जो कि मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 2883 4705 8271 में मेरी पुत्री का नाम सोना अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनिका सिंह पुत्री श्री सदानन्द कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सदानन्द कुमार,
नि0 उम्मरपुर पो0 खलवारा, थाना नवाबगंज,
तहसील कायमगंज फर्रूखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विनीत कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3707 9600 8635 में मेरा नाम बिनय कुमार पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विनीत कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनीत कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय,
नि0 आसपुर देवसरा, अमरगढ़,
प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चमेला देवी है। जो मेरे बैंक पासबुक निर्वाचन कार्ड उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5950 6805 8365 में जगदेईया अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चमेला देवी से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चमेला देवी, पत्नी विजय बहादुर
निवासी–ग्राम नरैना करछना,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनुराग यादव (Anurag Yadav) है जो कि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित

है, त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0– 8279 9495 4299 में मेरे पुत्र का नाम हेमंत (Hemant) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम अनुराग यादव (Anurag Yadav) पुत्र श्री भानू प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भानू प्रताप सिंह, पुत्र कंधई लाल,
निवासी–ग्राम पूरे लोधन मजरे भवानीपुर,
पोस्ट मीरमऊ थाना मवई, तहसील–रूदौली,
जनपद अयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम रेखा द्विवेदी (REKHA DWIVEDI) है जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं पर REKHA DIVEDI तथा कहीं पर REKHA DIVEDI, REKHA DUVEDI, REKHA DEVI DUVEDI अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्री कान्त द्विवेदी,
295/145A/5 राजरूपपुर, गयासुद्दीनपुर,
उपरहार, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमन कुमार पुत्र रमेश बिन्द है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार सं0–9493 3374 3617 में मेरा नाम प्रवीण कुमार बिन्द अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरा सही नाम अमन कुमार पुत्र रमेश बिन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमन कुमार पुत्र रमेश बिन्द,
नि0– तिलाई, विजयपुर, बिजयपुर,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंकित यादव पुत्र जय करन सिंह है। जो कि मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6891 5209 1024 में मेरा नाम रजनीश सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंकित यादव पुत्र जयकरन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंकित यादव, पुत्र जय करन सिंह,
ग्राम व पोस्ट सैयद सरावॉ,
तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथी की पुत्री का सही नाम आर्ना शर्मा है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। शपथी अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आर्ना शर्मा से बदल कर सिया शर्मा रख लिया है। भविष्य में शपथी की पुत्री को सिया शर्मा पुत्री गीत आनन्द शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं शपथी द्वारा पूर्ण की गई है।

गीत आनन्द शर्मा,
592ज/64, ब्राहमण टोला, खरिका,
तेलीबाग, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिनई लाल पुत्र स्वर्गीय झमऊ, है जो कि मेरे अन्य प्रपत्रों में निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी एवं ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रपत्र तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9689 5963 6354 में मेरा नाम दीना नाथ अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिनई लाल पुत्र स्वर्गीय झमऊ के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिनई लाल, पुत्र स्वर्गीय झमऊ,
निवासी– ग्राम पट्टी अब्दुल रउफ,
पो0 करारी तहसील मन्झनपुर,
जिला कौशाम्बी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संध्या देवी (Sandhya Devi) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक–23183309 में मेरा नाम RADHA DEVI अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संध्या देवी, पत्नी राजकुमार,
गांधी नगर गुरसरायं, झॉसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजदा बेगम पत्नी मुसर्रफ अली है जो कि मेरे पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–8232 8182 1905 में मेरा नाम रानी अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजदा बेगम पत्नी मुसर्रफ अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजदा बेगम पत्नी मुसर्रफ अली,
ग्राम–निजामपुर पुरैनी, पोस्ट–मनौरी,
थाना पिपरी, तहसील –चायल
जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम समरजीत यादव पुत्र छोटेलाल यादव है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बिजली बिल, ग्राम खतौनी , बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर व उपजिलाधिकारी महोदय के जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6594 1570 8806 में मेरा नाम समरनाथ यादव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम समरजीत यादव पुत्र छोटे लाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

समरजीत यादव, पुत्र छोटेलाल यादव,
जगदीशपुर, हण्डिया, प्रयागराज।

NOTICE

This is to inform the general public that in my Educational Records, Mark Sheet/Certificate my name is mentioned as Abhishek Srivastava son of Anil Srivastava which is correct but in my Aadhar card No-4309 4108 0039 due to mistake Ankul Kumar Shriwastaw son of Anil Kumar Shriwastaw has been printed which is wrong, Therefore, in future, the applicant should be known and identified by his correct name Abhishek Srivastava son of Anil Srivastava.

Abhishek Srivastava,
R/o Semari Baghray, Kosfara,
Koraon, Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नंदन शुक्ला पुत्र पवन कुमार शुक्ला है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2723 9560 9453 में उसका नाम अंश शुक्ला हो गया है जो कि गलत व त्रुटिपूर्ण है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नंदन शुक्ला पुत्र पवन कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार शुक्ला पुत्र जगत नारायण शुक्ला,
ग्राम लीलापुर खुर्द, पो0 लीलापुर कलॉ,
तहसील–फूलपुर, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन चौधरी पुत्र अखिलेश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9784 7084 4113 में उसका नाम आयुष कनोजिया पुत्र अखिलेश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन चौधरी पुत्र अखिलेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कंचन पत्नी अखिलेश,
नि0 ग्राम हुसेनाबाद पो0 सराय मोहिउद्दीनपुर,
तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शुभम कुमार मिश्रा (SHUBHAM KUMAR MISHRA) पुत्र सतीश कुमार मिश्रा है। जो कि शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9758 0037 6917 में मेरा नाम शुभम मिश्रा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभम कुमार मिश्रा (SHUBHAM KUMAR MISHRA) पुत्र सतीश कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शुभम कुमार मिश्रा,
पुत्र सतीश कुमार मिश्रा,
नि0–ग्राम खरगौली पो0 चित्तौरा तहसील सदर,
जनपद बहराइच, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुनाल दूबे पुत्र धर्मराज दूबे है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6967 6509 6440 में मेरा नाम शनि दूबे अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुनाल दूबे पुत्र धर्मराज दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुनाल दूबे,
पता– वैदहा, गोसाईगंज,
सुलतानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी पेपर प्रोडक्टस खसरा सं0–569 चन्दायन रोड डिबडिबा बिलासपुर जिला रामपुर उ० प्र० नामक फर्म में

दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को भागीदार अजय कुमार पुत्र सन्त लाल निवासी 27 दुर्गा मन्दिर गली, अजय पुस्तक भण्डार एवं रमन पुंशी पुत्र श्री रवि पुंशी निवासी 7 वार्ड नं0–5 पुंशी कालोनी, खेड़ा रूद्रपुर उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड निवृत्त हो गये है। उक्त फर्म पर निवृत्त हुए भागीदारों की कोई देनदारी व लेनदारी शेष नहीं है। वर्तमान में 3 भागीदार मनीष छाबड़ा, मीनू छाबड़ा एवं ओमप्रकाश ठुकराल हैं।

मनीष छाबड़ा
मेसर्स बालाजी पेपर प्रोडक्टस,
खसरा सं0–569 चन्दायन रोड डिबडिबा,
बिलासपुर जिला रामपुर उ० प्र०

NOTICE

My NAME is listed as Roshani on my Aadhaar card No.3772 9471 3807 However, my name is listed as Tanu Kesarwani in all my Educational record Roshni and Tanu are the same person's name. Therefore, in the future I will be referred to and known by the name listed in my Educational record TANU KESARWANI D/o Brijesh Kesarwani R/o 82/93 Kandhaipur, Prayagraj.

TANU KESARWANI,
D/o Brijesh Kesarwani,
R/o 82/93 Kandhaipur, Prayagraj.

NOTICE

This is to inform you that Mr. Ram Kishore Pandey S/o Mr. Ganesh Dutt Pandey, partner of M/S Pandey Filling Station, Niwajpur, Roza, Shahjahanpur, has voluntarily resigned from the partnership of M/s Pandey Filling Station without any undue pressure. Now, from 01 Nov. 2025, continue exiting partner Shri Ramesh Chandra Pandey S/o Ganesh Dutt Pandey and new Partner's Manoj Kumar Pandey S/o Shri Ram Kishore Pandey and Amit Pandey S/o Shri Ramesh Chandra Pandey have joined Person M/s Pandey Filling Station.

Ramesh Chandra Pandey,
Partner
Pandey Filling Station, Niwajpur,
Roza, Shahjahanpur.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अविका सिंह (AVIKA SINGH) पुत्री शिवेन्द्र सिंह है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–9933 7808 2224 में उसका नाम आस्था सिंह अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अविका सिंह (AVIKA SINGH) पुत्री शिवेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिवेन्द्र सिंह
पुत्र–राधेश्याम सिंह
पता–विरगापुर, पोस्ट–हनुमानगंज
तहसील–फूलपुर, जनपद–प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।